Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में पटवारी 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *23 दिसम्बर,* शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये नारायण लाल सैन पटवारी पटवार हल्का सोहेला, तहसील पीपलू, जिला टोंक को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सही सीमाज्ञान व तकासमा करने की एवज में नारायण लाल सैन पटवारी पटवार हल्का सोहेला, तहसील पीपलू, जिला टोंक द्वारा **1 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय निवासी जौला, तहसील पीपलू, जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का सोहेला, तहसील पीपलू, जिला टोंक को **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा मौके पर 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की, जिसपर परिवादी द्वारा केवल 20 हजार रुपये पास में होना जाहिर करने पर आरोपी पटवारी द्वारा टोकन मनी के रूप में **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि स्वीकार की, जिसपर उसे गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।